

पत्र सं०-7/भा०स०प०-17-08/2008 क०ट०

7097/राँची

प्रति,
श्री

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेमक,

विनय प्रकाश वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड ।

राँची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

विषय:-


अन्य पिछड़े वर्गों {ओ० बी० सी०} के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों {सम्मान वर्गों} को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002 क०ट०-3482 दिनांक-10.6.2002 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के अलावा भारत सरकार के ज्ञापक-36033/3/2004-स्था०{आरक्षण} दिनांक-14.10.2008, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग}, नई दिल्ली के द्वारा क्रीमीलेयर की पहचान संबंधी संशोधित मापदण्ड को अंगीकृत करते हुए उसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है । इस विभाग के पत्रांक-6903 दिनांक-12.12.2008, पत्रांक-701 दिनांक-30.1.2009 एवं पत्रांक-1992 दिनांक-26.3.09 के द्वारा भी उक्त पत्र की प्रति पूर्व में भेजी जा चुकी है ।

भारत सरकार के पत्र की कंडिका-2 में निर्धारित तिथि से यह झारखण्ड राज्य में भी प्रभावी समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन,




सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक-7/भा०स०प०-17-08/2008 क०ट० 7097/राँची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

प्रतिलिपि:- सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भारत सरकार के ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 दिनांक-14.10.2008 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

जफर/-



सरकार के संयुक्त सचिव ।

कररररर ररररर

दरररर: अनरर ररररर ररर (ओ.बी.सी.) के आरकरण के दरररे से सररररररर ररर से उन्नत वरररररर/वररर (सरररररर रररर) को बरहर रररने के लरए आर के ररनदणू के रररशुधन ।

अधुहसररररर को इस ररररर के दरनरक 08 सररररर, 1993 के कररररर ररररर संखरर-36012/22/93-सररररर(अनु.कर.) की ओर धररन आकरूण्ट कररने कर नरदेश हुआ है, ररररर अनरर बररर के सरर-सरर यह रररररन थर की उन वररररर के रुर और रुररररर ररररर लगरतर तीन वररर तक की कुल वररररर आर एक लरख रुररर अथवर उससे अधरक है, सररररर रररर रर आते हैं और वे, अनरर ररररर रररर को उपलब्ध आरकरण के लरर को रुररर कररने के हकरदर नररर हैं । इस ररररर के दरनरक 09.03.2004 के सररसंखरर कररररर ररररर के दररर सररररर ररर कर नरररररर कररने के लरए आर की सररर को बदरकर 2.5 लरख रुररर कर दररर गरर थर । अब यह नररररर लररर गरर है की अनरर ररररर रररर ररर सररररर रररर कररने के लरए आर की सररर को 2.5 लरख से बदरकर 4.5 लरख कर दररर कर । लदुसर, उपररुकर संदरररर कररररर ररररर की अनुसरूरी की शुरणी vi की वररररर रुररररर के सररन रर एतददुवर नररररररररर रुररररर रुररररररररर की कररती है ।

शुरणी शुरणी कर वरररर वर वरररर ररर रर आरकरण के कुषुर से बरहर ररर करने कर नररर लरगू हुगर


VI आर/सररररर कर नररररर (क) उन वररररर के रुर और रुररररर, ररररर लगरतर तीन वररर तक की कुल वररररर आर 4.5 लरख रुररर अथवर उससे अधरक है अथवर सररररर-कर अधरनरररर रर रररर-नररररररररर रूर सररर से अधरक की सररररर रररते हैं ।

(ख) शुरणी-I, II, III और V-क, रर आने वरले ऐसे वरररर जो आरकरण कर लरर ररने के हकरदर हैं, रररररु रररररर अनरर सरररर से आर अथवर सररररर जो उनररर उपररुकरर (क) रर उल्लरखरर आर/सररररर के ररनदणू के कुषुरतर लररणी के रुर और रुररररर ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय जापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय जापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।



(कै.जी. वर्मा)

निदेशक

दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400.

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित